

व्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

ठगे 3268 II/16

136



1. रन्जू देवी पत्नी स्व0 श्री रामगोपाल सिंह उम्र 60 वर्ष पेशा घरकार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0
2. शांतनु सिंह तनय श्री दमईलाल सिंह उम्र लगभग 53 वर्ष पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

--निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

श्रीमती सुगनी देवी पत्नी श्री जगदीश सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

--गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

श्री नाकारा कर्पारेट ग्राहनी कार्यालय
द्वारा आज दि 23.9.16 को
प्रस्तुत

निगरानी बिल्ड आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण क्रमांक 556/अपील/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 09.09.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण संक्षिप्त तथ्य

निम्नानुसार है:-

प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप यह है कि आवेदिका बेवा रन्जू देवी के द्वारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 की धारा 178,110 के तहत ग्राम बसरेही की आराजी नं-768 कुल रकवा 1.056 हे0 के खाता विभाजन, नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, तहसील प्रकरण मे अनावेदिका सुगनी पत्नी जगदीश सिंह द्वारा उपस्थित होकर इस आशय का जबाव पेश किया गया कि उक्त आराजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3268—दो / 16

जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| २६—९—२०१६ | <p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक अरुणेन्द्र चौरसिया द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 556/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 09-09-16 के विरुद्ध मोप्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका रन्नू देवी द्वारा तहसीलदार जवा के समक्ष ग्राम बम्हना की आराजी खसरा क्रमांक 1, 2, 8 कुल किता 3 कुल रकवा 0.483 है। के बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 66/अ-27/अपील/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 10-9-2013 के तहत बटवारा नामांतरण का आवेदन स्वीकार कर किया गया। तहसीलदार के समक्ष अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि अनावेदक 1/2 क हिस्सेदार है उसे भी सुना जाये, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा निष्कर्ष मान्य नहीं किया जा सकता कि अनावेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार ने बटवारा किया है। अनावेदिका की अनुपस्थिति में तहसीलदार द्वारा उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की</p> | ✓ |

गई थी। ग्राम बम्हना की भूमि खसरा नं 1,2,8 खाता क्रमांक 144 किस्तबन्दी खतौनी वर्ष 2011 सुगनी पति जगदीश प्रसाद एवं ननू देवी पति रामगोपाल कुर्मी के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज थी। तहसीलदार के आदेश के क्रम में हल्का पटवारी से आवेदित आराजी का फर्द बटांक पेश किया गया जिसपर उभय पक्ष सहखातेदारों को आराजी का आधा-आधा भाग विभाजित किया गया है। विभाजन में तीनो आराजी के 1/2-1/2 भाग का बटवारा किया है जिसके सहखातेदार हकदार थे इसलिए तहसीलदार के आदेश को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि दो सहखातेदारों को बराबर हिस्सा बटवारे में प्रदान किया जाना नैसर्गिक एवं विधि की मंशा के अनुरूप है। तहसीलदार द्वारा म०प्र०० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के प्रावधान के अनुक्रम में विधिअनुसार बटवारा आदेश पारित किया गया है। इसी कारण अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में इन्हीं आधारों पर निष्कर्ष निकालकर अपील को निरस्त किया गया है।

जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने इस आधार पर कि अनावेदिका को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और फर्द पर अनावेदिका के हस्तक्षर नहीं है, यह मानकर अपील को स्वीकार कर तहसीलदसार एवं अनुविभागीय अधिकारी के विधिसम्मत आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है क्योंकि जैसा कि ऊपर निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि अनावेदिका ने तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर 1/2 भाग की हिस्सेदार होने से सुनवाई का अवसर चाहा था तथा वह एक बार न्यायालय में

✓

उपस्थित होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही में अनुपस्थित रही, जिसके कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। जहां तक फर्द पर अनावेदिका के हस्तक्षर न होने का प्रश्न है चूंकि अनावेदिका ने तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की थी तथा तहसीलदार उन्हें उसके पश्चात ही बटवारा आदेश पारित किया है इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अनावेदिका को उक्त फर्द पर हुये बटवारे की जानकारी थी। इसके अतिरिक्त दोनों अपीलीय न्यायालयों सहित इस न्यायालय में बटवारा आदेश को चुनौती दिये जाने का प्रश्न है चूंकि बटवारा आदेश में दोनों पक्षों को तीनों आराजियों में से बराबर-बराबर $1/2-1/2$ भाग का बटवारा किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। इसी कारण तहसीलदार द्वारा पारित विधिसंगत आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश से की गई है। अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसम्मत आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है, अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 9-6-16 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर का आदेश दिनांक 9-5-14 एवं तहसीलदार जवा के आदेश दिनांक 10-9-13 स्थिर रखे जाते हैं। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के०सी० जैन)
सदस्य

